राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्तागण
1.	4041 / 2024	इन्द्राज मीना	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय v) राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।	श्री अशोक बंसल अधिवक्ता एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
2.	4042 / 2024	महिपाल कटारा		
3.	4043 / 2024	कमलेश कुमार मीना		
4.	4044 / 2024	लोकेन्द्र सिंह कुमावत		
5.	4045 / 2024	भगवान सहाय गुप्ता		

आदेश की दिनांक : 11.07.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है, इसलिए समस्त अपीलों में यह एक समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4041 / 2025 इन्द्राज मीना एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे है।

इन समस्त अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में इंजीनियरिंग विंग की कुल कैडर क्षमता 1316 में से कृषि विभाग के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए 223 रिक्तियां आवंटित की गई थीं, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा घोषित नियमों और कानून के प्रावधानों के विरुद्ध होने का कथन किया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 27.11.2024 (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु उक्त अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के पद राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज सेवा नियम, 1998 एवं संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत जून 2010 में हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को सितम्बर 2018 से पातेय वेतन आधार पर सहायक अभियन्ता का पद धारण करने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि नियमों एवं प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को जेईएन सिविल के पद से एईएन सिविल के पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए तथा अपीलार्थी एईएन के पद पर पदोन्नति के लिए भी पात्रता रखता है, क्योंकि अपीलार्थी ने जेईएन डिप्लोमाधारी के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि नियमों के प्रावधानों के तहत एईएन का पद दो माध्यमों से भरा जाता है, जिसमें 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम

से भरे जाते हैं। इसके अलावा जो 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं, उसमें डिप्लोमाधारी और डिग्री धारक अभियंताओं के लिए 60:40 के रूप में विभाजित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा पंचायत राज विभाग में इंजीनियरिंग विंग में कुल 1316 रिक्तियां सृजित या पुनर्गठित की गई। उक्त 1316 रिक्तियों में से 502 रिक्तियां एईएन के पद के लिए गठित की गई। इस प्रकार उपर्युक्त 502 एईएन रिक्तियों में से 251 रिक्तियां सीधी भर्ती से तथा 251 रिक्तियां डिप्लोमाधारी एवं डिग्रीधारी जेईएन से 60:40 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा भरी जानी थी। अपीलार्थी जेईएन डिप्लोमाधारक है तथा कुल रिक्तियां लगभग 150 हैं तथा 150 रिक्तियों में से 89 रिक्तियां जेईएन डिप्लोमा धारक से पदोन्नति के माध्यम से पहले ही भरी जा चुकी हैं तथा अब वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध एईएन सिविल के पद पर पदोन्नति के लिए 01 रिक्ति उपलब्ध हैं। इस संबंध में विभाग ने दिनांक 24.07.2024 को वरिष्ठता भी प्रकाशित की जिसमें अपीलार्थी का नाम उसकी नियुक्ति तिथि के आधार पर रखा गया (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग ने डीपीसी आयोजित करने के लिए कार्यवाही के लिए लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्ड/विशेष प्रक्रिया एवं वसूली के संबंध में जानकारी की है। इस संबंध में पंचायत राज विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया (अनुलग्नक–5)। सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरने के उद्देश्य से 240 रिक्तियों पर भर्ती हेतु नियमित विज्ञापन (अनुलग्नक–6) जारी किया गया था, क्योंकि AEN के संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियां 251 थी तथा 251 रिक्तियों के विरूद्ध 11 व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा कार्यरत हैं, अतः शेष 240 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा कुल 1316 रिक्तियों के विरूद्ध, 223 रिक्तियां केवल कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति के लिए सौंपी गई हैं और 223 रिक्तियों में से 201 रिक्तियां एईएन के संवर्ग में हैं और जेईएन डिप्लोमा धारक की कुल रिक्तियों के विरूद्ध 150 रिक्तियों में से 89 व्यक्ति कार्यरत हैं और यदि उक्त आदेश लागू किया जाता है, तो वर्ष 2024–25 की रिक्ति के विरूद्ध जेईएन डिप्लोमा धारक से एईएन पद पर पदोन्नति के लिए कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं होंगी। प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश के विरूद्ध ग्रामीण विकास और पंचायत राज इंजीनियर्स एसोसिएशन, राजस्थान द्वारा दिनांक 27.11.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 04.10.2024 का आदेश पदोन्नति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन रहा है कि जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता के कुल 380 पद सृजित है, जो अनुलग्नक–7 से स्पष्ट है। ऐसे में कृषि विभाग के अभियंताओं को पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाना गलत है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने समान प्रकृति के प्रकरण में यह माना है कि यदि मूल विभाग में पदोन्नति के लिए यदि अभ्यर्थी उपलब्ध हो तो उन्हें अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा नहीं भरा जाएगा। न्याय निर्णय की प्रति बहस के समय उपलब्ध की जायेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.10.2024 को प्रत्याहरित हेतु प्रस्ताव भेजने की अपीलार्थी को जानकारी हुई है, क्योंकि इससे पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ेगा। कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्य की प्रकृति में अंतर है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 06.10.2023 को जारी आदेश के अनुसार सहायक अभियंता, सिविल के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने का निर्देश दिये जाए और अपीलार्थी के लिए सहायक अभियंता, सिविल के पद पर पदोन्नति पर विचार किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग ने इस अपील में जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वित्त विभाग ने मिनट्स दिनांक 02.03.2021 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में इंजीनियर संवर्ग के 1052 पद नियमित तथा अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति हेतु 319 पद स्वीकृत (एसीई 2, एसई 12, ईई 8, एईएन 297, जेईएन 2) कुल 1371 पद स्वीकृत किए हैं। तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा 17 नवगठित जिलों के लिए सहायक अभियंता के 17 नये पदों के सृजन हेतु सहमति व्यक्त की गई (अनुलग्नक–आर/2)। इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कुल 1388 पद स्वीकृत थे। राज्य के 10 संभागों एवं 50 जिलों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन करते हुए पूर्व से स्वीकृत 1388 पदों के स्थान पर 1316 पदों (एससीई 16, एसई 48, ईई 150, एईएन 502, जेईएन 600) का नया कैडर स्ट्रेंथ वित्त विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2023 को स्वीकृत किया गया (अनुलग्नक–आर/3)। उनका आगे कथन है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2020 को कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रखे गए अभियंताओं के पदों पर पदोन्नति हेतु कृषि विभाग में 173 (ईई 16, एईएन 157) पद जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग को आवंटित किए गए, जो कि वित्त विभाग के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग में वर्तमान में स्वीकृत अभियंता संवर्ग के 1316 पदों में से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले 319 (एसीई 2, एसई 12, ईई 8, एईएन 297, जेईएन 2) पदों में सम्मिलित हैं (अनुलग्नक–आर/4)। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2023 द्वारा कृषि विभाग के अभियंता संवर्ग के पुनर्गठन हेतु 967 पदों पर सहमति प्रदान की गई, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत 173 पद (ईई 16, एईएन 157) सम्मिलित नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मामले का परीक्षण

कर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.10.2024 से स्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्व में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत 173 पदों के स्थान पर 165 पद (ईई–8, एईएन–157) को संवर्ग के बाह्य संवर्ग में सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गई (अनुलग्नक–आर/5 एवं 6)। इसी क्रम में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2024 को सचिव, पंचायती राज विभाग को दिनांक 06.10.2023 द्वारा पूर्व से स्वीकृत 1316 पदों को यथावत रखते हुए नियमित पदों की संख्या 1093 एवं प्रतिनियुक्ति पदों की संख्या 223 निर्धारित की गई है। आदेश दिनांक 04.10.2024 में कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांक 04.10.2024 को चुनौती दी गई है, जिसमें वित्त (व्यय 5) विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अभियंता संवर्ग के पदों की स्वीकृति के संबंध में अनुमोदन किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि पूर्व में आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा सहायक अभियंता के 502 पद कैडर के पुनर्गठन में स्वीकृत किये गये हैं और आलोच्य आदेश के द्वारा उन 502 पदों में से 301 पद ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अभियंताओं के लिए रखे गए हैं और 201 पद अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अभियंताओं की पदोन्नति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रतिनियुक्ति हेतु नियुक्त किए गए 201 पदों को ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अभियंताओं के लिए रखे जावें एवं प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान समाप्त किया जाएं।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पूर्व में ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अभियंताओं के कैडर में सहायक अभियंता के 598 पद स्वीकृत थे (अनुलग्नक–आर/3)। जिसमें 301 पद ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अभियंताओं के लिए और 297 पद अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु स्वीकृत थे। कैडर के पुनर्गठन में सहायक अभियंता के 95 पद समाप्त किये गये हैं और प्रतिनियुक्ति से भरने वाले पदों की संख्या में कमी की गई हैं। विभागीय अभियंताओं के लिए स्वीकृत पदों में कोई कमी नहीं की गई है। यह पूर्ववत् 301 ही रखा गया है। अतः आलोच्य आदेश से अपीलार्थी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए स्वीकृत पदों में कोई कमी नहीं की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से सहायक अभियंता के स्वीकृत पदों की स्थिति निम्न है :–

स्वीकृत पद	पुनर्गठन से पहले स्वीकृत पद	पुनर्गठन के बाद स्वीकृत पद
विभागीय अभियंताओं के लिए	301	301
प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए	297	201 (–96)
योग	598	502

स्वीकृत पदों की उक्त स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–3) में इस तरह का कोई विभाजन नहीं था और 502 पद विभागीय अभियंताओं के लिए स्वीकृत किये गये हैं। जबकि आलोच्य आदेश के द्वारा इन पदों में विभाजन कर 201 पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु स्वीकृत किये गये हैं, जिससे विभागीय अभियंताओं के हित प्रतिकूल प्रभावित होंगे।

हम यह पाते हैं कि कैडर के पुनर्गठन में सहायक अभियंताओं के लिए स्वीकृत पदों में जो पद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अभियंताओं के लिए उपलब्ध हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें यथावत 301 ही रखा गया है और जो 95 पद कम किये गये हैं, वे प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों में कटौती कर किये गये हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 06.10.2023 में स्वीकृत पदों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसे आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। विभागीय अभियंताओं के लिए कैडर पुर्नगठन में पूर्व स्वीकृत पदों में कोई कमी नहीं करने से अपीलार्थी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना नहीं पाया जाता है। साथ ही कैडर के रिविजन और स्वीकृत पदों के संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम है, जिसमें बिना समुचित आधार के हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 4041/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य